वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन, राष्ट्रीय सहारा, जनसन्देश टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 25.10.2024

अवैध मकान किया सील

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान मदैनी वार्ड-भेलूपुर, कटारिया तिराहा के पास मकान सील किया। जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए मकान को सील किया गया है। इस दौरान अवर अभियंता आरके सिंह, प्रकाश कुमार मौजूद रही। संवाद

दैनिक जागरण –दि0 25.10.2024

वीडीए ने सील किए चार अवैध निर्माण

वाराणसी : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर गुरुवार को अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की गई। जोन पांच के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कटारिया तिराहे के पास बृजमोहन, सुल्तानपुर में पंकज पांडेय अवैध निर्माण कर रहे थे। जोन चार के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि भेलपुर वार्ड के भदैनी में बृज किशोर अग्रवाल के अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। जोन तीन के जोनल सौरभ ने बताया कि चौक वार्ड के चौक में अजय केशरी के अवैध निर्माण को सील किया है। (जासं)

: vcvdavns : Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in
Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 25.10.2024

रेलवे से कनेक्ट होगा ट्रांसपोर्ट नगर, बिछाई जाएगी लाइन

डीएफसीसीआइएल रेलवे के बाद आइआइटी बीएचयू की टीम ने किया मौका-मुआयना, पांच हेक्टेयर जमीन की जरूरत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मोहनसराय में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए बुधवार को डीएफसीसीआइएल रेलवे के एईएन और गुरुवार को आइआइटी बीएचयू की टीम ने मौका-मुआयना किया। ट्रांसपोर्ट नगर को रेलवे से जोड़ने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण को पांच हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। वीडीए ने दोनों विभागों से अलग-अलग चर्चा करने के साथ दोनों विभागों से अपनी-अपनी रिपोर्ट मांगी है जिससे योजना को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रांसपोर्ट नगर से रेलवे कनेक्ट होने से ट्रांसपोर्टरों को रोजगार करने में आसानी होगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने इस योजना को धरातल पर लाने के लिए अपने अधीक्षण अभियंता अजय पवार को जिम्मेदारी सौंपी है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक ट्रांसपोर्ट नगर योजना है। लंबे प्रयास के बाद वीडीए ने 48 हेक्टेयर जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बसाना शुरू किया है। शेष 34 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने को लेकर वीडीए ने 40 करोड़ में से 40 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को दे दिया है। वीडीए उपाध्यक्ष ने ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए आइआइटी बीएचयू से सुझाव मांगने के साथ गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अनुबंध किया है। गुरुवार को आइआइटी बीएचयू के प्रो. वृंद कुमार, प्रो. पीके सिंह, वीडीए के सहायक अभियंता देवेश गुप्ता, शिवाजी मिश्र और आर्किटेक्ट गोविंद कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने देखा कि ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क के अलावा साइडिंग (रेलवे लाइन) कैसे बनाया जाए, क्या-क्या समस्या आ सकती है, उसे कैसे दूर किया जाए। कितनी लागत आएगी और कितना समय लगेगा। अधीक्षण अभियंता अजय पवार का कहना है कि रेलवे और आइआइटी बीएचयू की रिपोर्ट आने के साथ दीपावली बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर बजट की मांग की जाएगी। बाद में इसे ट्रांसपोर्ट नगर के बजट में जोड़ा जाएगा।

शहर को जाम से मिलेगी राहत : शहरवासियों को जाम से राहत पहुंचाने के लिए परिवहन निगम बस स्टैंड को शहर से दूर ट्रांसपोर्ट नगर में बसा रहा है। वहीं, रामकटोरा, लहरतारा समेत अन्य स्थानों के ट्रांसपोर्टरों को भी बसाएगा।

रेलवे लाइन पर निरीक्षण करते आइआइटी बीएचयू के प्रो. पीके सिंह, प्रो. वृंद कुमार, वीडीए सहायक अभियंता देवेश गुप्ता व शिवाजी मिश्र। • जागरण

- विकास प्राधिकरण ने दोनों विभागों संग निरीक्षण कर मांगी रिपोर्ट
- ट्रांसपोर्टरों को होगी आसानी दीपावली बाद बनेगी डीपीआर

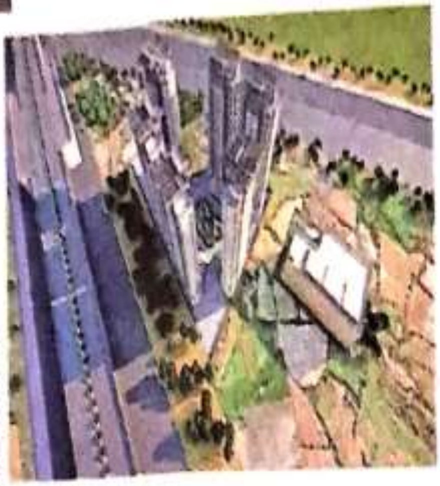

ट्रांसपोर्ट नगर योजना का तैयार मॉडल। • जागरण

योजना में कब और क्या हुआ

- 1998 में ट्रांसपोर्ट नगर का बना प्रस्ताव
- 18 दिसंबर 2000 को जमीन अधिग्रहण को गजट
- परियोजना की लागत 82 करोड़
- 37 करोड़ में खरीदी गई जमीन
- 1194 किसानों की ली गई जमीन
- 48 हेक्टेयर जमीन हुई अधिग्रहित
- 34.41 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में ले चुके हैं 771 किसान।
- शेष 34 हेक्टेयर जमीन का होना है अधिग्रहण
- शेष जमीन को 194 करोड़ जिला प्रशासन ने मांगे
- वीडीए ने 40 करोड़ जमीन अधिग्रहण को दिया।

> ट्रांसपोर्ट नगर योजना में व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। आइआइटी बीएचयू से सुझाव लेने के साथ गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अनुबंध किया गया है। रेलवे से कनेक्ट होने के साथ कारोबार करने में व्यापारियों को काफी आसानी होगी।
>
> -पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

आज –दि0 25.10.2024

दो निर्माणाधीन भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं ने गुरुवार को पड़ाव से रामनगर आवासीय योजना का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वार्ड रामनगर, मौजा–कटारिया तिराहे के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन स्वामी बृजमोहन प्रसाद ने अनाधिकृत निर्माण कराया। इसी प्रकार मौजा–सुल्तानपुर में पंकज पाण्डेय ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन के निर्माण की काररवाई शुरू कर दी थी। मौके पर पर पहुंचे जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे ने निर्माणाधीन दोनों भवनों को पुलिस की निगरानी में सील कर दिया और निकटम थाने की अभिरक्षा में मकानों को सौंप दिया। इसी क्रम में भदैनी के निवासी बृजकिशोर अग्रवाल भवन संख्या २/२४७ ए भदैनी वार्ड भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण स्वीकृत करा रहे थे। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आर.के.सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने भवन में कार्य कर रहे मजदूरों को भगा दिया और भवन को सील कर दिया। सील करने के बाद अवर अभियंता ने निकटम थाने की अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया।

काशीवार्ता –दि0 25.10.2024

अवैध निर्माण पर 55 हजार का जुर्माना

वाराणसी (**काशीवार्ता**)। विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा सारनाथ और सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। वीडीए की प्रभावी पैरवी के बाद, मा० सीजेएम न्यायालय, वाराणसी ने अभियुक्तों पर कुल 55,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है न्यायालय में योजित परिवाद संख्या-1302/2006 (वीडीए बनाम उषा सिंह) और परिवाद संख्या-18983/2014 (वीडीए बनाम विजयानंद शुक्ला) पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्तों पर क्रमशः 40,000 रुपये और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता, तो अभियुक्तों को क्रमशः 10 दिन और 2 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों द्वारा कुल 55,000 रुपये का जुर्माना समय पर जमा कर दिया गया है। यह कार्यवाही उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत की गई थी।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 25.10.2024

पड़ाव- रामनगर में अवैध निर्माण सील

वाराणसी। शहर में अवैध निर्माण को लेकर इन दिनों अभियान चला रही है। इसको लेकर विभाग की टीम अचानक पड़ाव- रामनगर आवासीय योजना मार्ग पर पहुंचा। जहां औचक निरीक्षण किया और हो रहे बहुमंजीला नवीन अवैध निर्माण को देखा। जोन-5 में पाया कि मार्गों के दोनो तरफ आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिला नवीन निर्माण गतिमान है। इस दौरान जोनल अधिकारी ने अवैध निर्माण के बाबत पूछताछ की। वार्ड-रामनगर, मौज-कटारिया तिराहा के पास में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बृजमोहन प्रसाद द्वारा अनाधिकृत निर्माण तथा सुल्तानपुर के अंतर्गत पंकज पांडे ने अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा था। जिसे वीडीए की टीम ने जहां निर्माण कार्य को तत्काल बंद कराया ,वही सील की कारवाई कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया । इस अवसर पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार अवर अभियंता पी. एन० दबे मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 25.10.2024

वीडीए ने की अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आर0के0 सिंह तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।इसके तहत जोन-4 के अंतर्गत बृज किशोर अग्रवाल पुत्र श्री ओम कुमार अग्रवाल द्वारा भवन सं0- बी-2/247-ए. मदैनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 20×80 के बक्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर मूतल पर लगभग 20×30' के क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किये जाते उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुरागत धारा-27, 28(i), 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी है। पक्ष द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 20×80′ के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर भूतल पर लगभग 20×30′ के क्षेत्रफल में जी+4 तलों का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य किये जाने पर पुनः 24.अक्टूबर को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। उपाध्यक्ष द्वारा अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश —दि0 25.10.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा 23 अक्टूबर को वाराणसी विकास क्षेत्र के जोन-5 के अन्तर्गत पड़ाव से रामनगर आवासीय योजना मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि मार्गी के दोनो तरफ आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिला नवीन निर्माण गतिमान है ।अतः जोनल अधिकारी (जोन 5) को उचित कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया जिसके क्रम में 24अक्टूबर

को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी । वार्ड-रामनगर, मौज-कटारिया तिराहा के पास में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बृजमोहन प्रसाद द्वारा अनाधिकृत निर्माण को तथा मौज-सुल्तानपुर के अंतर्गत पंकज पांडे द्वारा अनाधिकृत निर्माण को सील बंद कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया । जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता श्री पी0 एन0 दुबे मौजूद रहे।(उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

परफेक्ट मिशन –दि0 25.10.2024

वीडीए प्रवर्तन टीम ने भेलूपुर में हो रहे अवैध निर्माण को किया सील

परफेक्ट मिशन

वाराणसी । वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जनपद में किये जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को प्राधिकरण जोन-04 के अन्तर्गत वार्ड भेलूपुर के बृजकिशोर अग्रवाल पुत्र ओम कुमार अग्रवाल द्वारा भवन संख्या बी-2/247-ए मदैनी वार्ड- भेलूपुर वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 20* 80 के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर भूतल पर लगभग 20*30 फुट के क्षेत्रफल में निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27, 28(1), 28(2) के अंतर्गत 20*80 फुट के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में जी+4 तलो का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य किए जाने पर वीडीए प्रवर्तन टीम0 4 ने गुरुवार को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।

प्रवर्तन टीम में जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी,अवर अभियन्ता आरके सिंह व अन्य वीडीए कर्मी और क्षेत्रीय थाने की पुलिस मौजूद रही।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 25.10.2024

वीडीए ने अवैध निर्माण को किया सील

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

कई जोन में हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने पूर्व में पड़ाव से रामनगर आवासीय योजना मार्ग का निरीक्षण किया था। इस दौरान मार्गों के दोनो तरफ आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिला नवीन निर्माण होता पाया गया था। यह देखकर वीडीए उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी जोन-5 को कार्यवाही के निर्देशित किया गया जिसके क्रम में बृहस्पतिवार को वीडीए जोन-5 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की गई। रामनगर वार्ड के मौजा-कटारिया तिराहा के पास में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण को तथा मौजा-सुल्तानपुर के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण को सील बंद कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

वहीं दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण जोन-4, वार्ड भेलूपुर के प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी और संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। सील बंद कराये गये निर्माणों का विवरण जोन-4 के अंतर्गत बृज किशोर अग्रवाल पुत्र ओम कुमार अग्रवाल ने भदैनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना नक्शा पास कराये लगभग पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर भूतल पर निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी है। पक्ष द्वारा बिना नक्शा पास कराये जी+4 तलों का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य किये जाने पर पुनः बृहस्पतिवार को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

इसी प्रकार वीडीए जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने चौक वार्ड के अंतर्गत अजय केशरी द्वारा बेसमेंट में अवैध निर्माण कार्य काजीपुरा लल्लापुरा में लगभग जी+2 नक्शा के विपरीत जी+5 के निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील की कार्यवाही करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।